भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3315

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित न्यायाधीश

3315 डा. वी. शिवादासनः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित न्यायाधीशों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 2017 से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हाशिए पर रह रहे समुदायों का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व उनके जनांकिकीय अनुपात से कम है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता है । अतः जाति/वर्गवार आंकड़े केन्द्रीय रुप में नहीं रखे जाते हैं ।

2017 तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की कुल संख्या दर्शाने वाले विवरण उपाबंध में देखे जा सकते हैं ।

वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यकों सहित समाज में सभी वर्गों के लिए सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने का भार प्रथमदृष्टया न्यायपालिका पर है । सरकार किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्त नहीं कर सकती है जिसे उच्च न्यायालय के कॉलेजियम/उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश नहीं की गई है ।

तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधीन आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए उचित विचार करें ।

****

उपाबंध

(25.03.2022 तक)

		वर्ष						कुल
उच्चतम न्यायालय		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
		05	08	10	-	09	-	32
क्र.सं.	उच्च न्यायालय							
1	इलाहाबाद	31	28	10	04	17	1	91
2	आंध्र प्रदेश	10	-	02	07	02	07	28
3	बोम्बे	14	04	11	04	06	-	39
4	कलकत्ता	06	11	06	01	08	-	32
5	छत्तीसगढ़	03	04	-	-	03	-	10
6	दिल्ली	04	05	04	-	02	06	21
7	गुवाहाटी	02	02	04	-	06	-	14
8	गुजरात	-	04	03	07	07	-	21
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	02	-	01	-	03
10	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	03	02	-	05	02	2	14
11	झारखंड	02	03	02	-	04	-	11
12	कर्नाटक	02	12	10	10	06	-	40
13	केरल	03	04	01	06	12	-	26
14	मध्य प्रदेश	-	08	02	-	08	06	24
15	मद्रास	12	08	01	10	05	2	38
16	मणिपुर	-	-	-	01	-	-	01
17	मेघालय	-	01	01	-	-	-	02
18	उड़ीसा	-	01	01	02	04	03	11
19	पटना	06	-	04	-	06	2	18
20	पंजाब एवं हरियाणा	08	07	10	01	06	-	32
21	राजस्थान	05	-	03	06	08	-	22
22	सिक्किम	01	-	-	-	-	-	01
23	तेलंगाना	-	-	03	01	07	10	21
24	त्रिपुरा	-	01	-	01	-	-	02
25	उत्तराखंड	03	03	01	-	-	-	07
	कुल	**115**	**108**	**81**	**66**	**120**	**39**	**529**